छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2008 सत्र

मंगलवार, दिनांक 08 जुलाई, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर जिले में सरस्वती सायकल प्रदाय योजना के संबंध में

1. (*क्र. 58) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिला अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 में सरस्वती सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग की कितनी बालिकाओं को सायकल प्रदान की गई विकासखण्डवार बतायें ? (ख) सायकल खरीदी कहां से एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई ? उक्त अवधि में दी गई सायकल के परिवहन हेतु क्या व्यवस्था की गई ? परिवहन में कितना खर्च आया तथा भुगतान किस मद से किया गया ? विकासखण्डवार बतायें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) सायकल का क्रय मेसर्स एटलस सायकल (हरियाणा) लिमिटेड, मालनपुर भिन्ड, मध्यप्रदेश से विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा की गई. जिला मुख्यालय से शालाओं तक सायकिलों के परिवहन हेतु किराये पर ट्रक की व्यवस्था की गई. परिवहन पर व्यय सायकल प्रदाय योजनान्तर्गत की गई है. व्यय की जानकारी एकत्र की जा रही है.

मालिक मकबूजा अन्तर्गत पेड़ काटने की अनुमति

2. (*क्र. 20) **श्री राजेन्द्र पामभोई :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीजापुर विधान सभा क्षेत्र में मालिक मकबूजा अन्तर्गत पेड़ काटने की अनुमति के कितने तथा किन-किन के प्रकरण जिलाध्यक्ष कार्यालय दन्तेवाड़ा में कब से विचाराधीन है ? (ख) उक्त प्रकरणों का निराकरण न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक निराकरण कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है. (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर जिले में जवाहर उत्कर्ष योजना

3. (*क्र. 82) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में जवाहर उत्कर्ष योजना के अन्तर्गत कितने मेधावी आदिवासी बच्चे किन-किन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं ? (ख) प्रति छात्र कितनी राशि खर्च की जाती है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) बिलासपुर जिले में जवाहर उत्कर्ष योजना के अन्तर्गत 17 मेधावी आदिवासी बच्चे तीन विशिष्ट संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे हैं. स्कूलवार जानकारी निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक (1)	स्कूल का नाम (2)	कक्षा स्तर (3)	अध्ययनरत छात्रों की संख्या (4)	प्रति छात्र वार्षिक फीस (5)
1.	बर्जेस मेमोरियल कन्या उ. मा. शा. (हिन्दी माध्यम) बिलासपुर.	माध्यमिक शाला	12	17,900/-
		हाईस्कूल	02	18,100/-
		उ. मा. शाला	01	20,600/-

† परिशिष्ट "एक"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	बर्जेस मेमोरियल कन्या, उ. मा. शा. (अंग्रेजी माध्यम) बिलासपुर.	हाईस्कूल	01	18,100/-
3.	गुरूकुल विद्यालय, पेन्ड्रा	उ. मा. शाला	01	10,200/-
		योग	17	

(ख) प्रति छात्र वार्षिक खर्च की जानकारी उत्तर "क" के कालम 05 में वर्णित हैं.

जांजगीर-चांपा जिले में नहर निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे हेतु लम्बित प्रकरण

4. (*क्र. 14) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व अनुविभाग डभरा एवं सक्ती के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2008 की स्थिति में कितने कृषकों की जमीनों के मुआवजा प्रकरण कब से लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व अनुविभाग डभरा एवं सक्ती के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2008 की स्थिति में 412 कृषकों की 21.134 हेक्टेयर जमीनों के मुआवजा प्रकरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित तिथि से लंबित है. लंबित मुआवजा प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि में बताया जाना संभव नहीं है.

बस्तर एवं दन्तेवाड़ा जिले में व्याख्याता के रिक्त पदों की पूर्ति

5. (*क्र. 5) **श्री लच्छूराम कश्यप :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर एवं दन्तेवाड़ा जिले के हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत पदों में दिनांक 12-6-2008 की स्थिति में बस्तर एवं दन्तेवाड़ा जिले में पदवार कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? शालावार जानकारी देवें ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब-तक की जावेगी ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जिला बस्तर में 146 एवं दंतेवाड़ा में 40 कुल 186 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर दर्शित है. (ख) स्वीकृत पदों में दिनांक 12-6-2008 की स्थिति में जिला बस्तर में 81 एवं दंतेवाड़ा में 20 कुल 101 पद रिक्त है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर दर्शित है. (ग) व्याख्याताओं के 101 रिक्त पदों की शिक्षाकर्मी वर्ग-1 से नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने की कार्यवाही प्रचलित है. समयसीमा बताना संभव नहीं है.

गरीबी रेखा के राशन कार्डों की निरस्ती

6. (*क्र. 133) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 07 से 16-06-08 तक रायगढ़ जिले के रायगढ़, खरसिया एवं पुसौर विकासखण्ड में गरीबी रेखा के कितने-कितने राशन कार्ड निरस्त किए गये ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : माह दिसम्बर, 2007 से 16-6-2008 तक रायगढ़ जिले के विकासखण्ड रायगढ़ में 5200, पुसौर में 3713 एवं खरसिया में 7388 गरीबी रेखा के राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं.

† परिशिष्ट "दो"

जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आवंटित सामग्री एवं उठाव

7. (*क्र. 160) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है ? सहकारी व निजी क्षेत्र की जानकारी पृथक-पृथक बतावें ? (ख) उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अप्रैल एवं मई, 2008 में बिलासपुर जिले को कितना मिट्टी तेल, चावल व नमक (अमृत) आवंटित किया गया ? कितना उठाव हुआ ? (ग) कोटा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के लिए अप्रैल-मई, 2008 में कितना चांवल, मिट्टी तेल, आवंटित हुआ, कितना उठाव हुआ ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) बिलासपुर जिले में कुल 1030 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 294 सहकारी समिति, 442 ग्राम पंचायत, 258 महिला स्व सहायता समूह एवं 14 वन सुरक्षा समिति तथा 22 मार्केटिंग संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है. निजी व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं की गई है. (ख) एवं (ग) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

गोमर्डा अभ्यारण्य में दुर्लभ वन्यप्राणियों की मौत

8. (*क्र. 223) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 16 जून, 2007 से 15 जून, 2008 तक गोमर्डा अभ्यारण्य में कितने वन्य प्राणियों की मृत्यु किस-किस तिथि को किन-किन कारणों से किस-किस स्थानों में हुई है ? (ख) 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में वन्य प्राणियों के पेय जल व्यवस्था के लिये, किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई और कब-कब, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? पेय जल की कमी के कारण हो रहे वन्य प्राणियों की मृत्यु को रोकने के लिये शासन ने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नावधि में गोमर्डा अभ्यारण्य में 5 वन्य प्राणियों की प्राकृतिक एवं 8 वन्य प्राणियों की अवैध शिकार से मृत्यु हुई है. मृत्यु की तिथि एवं कारणों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) प्रश्नावधि में वन्यप्राणियों के लिये पेयजल व्यवस्था हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन एवं इसके विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. वन्यप्राणियों को पेयजल की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का गहरीकरण, स्टॉप डेम, ऐनीकेट, वॉटर होल का निर्माण किया गया है. इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल खनन कर जनरेटर द्वारा विद्युत पूर्ति कर पानी तालाबों में भरा गया है.

औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की जांच

9. (*क्र. 190) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2007 से 31 मई 2008 तक उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की जांच कब-कब और किन-किन के द्वारा की गई ? (ख) कंडिका "क" की अवधि में पर्यावरण प्रदूषण का मानक वायु एवं धरातल पर कितना है, और इसकी पैमाइश (माप) कब की गई ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गनेशराम भगत) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है. (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर-500 माईक्रोग्राम/घनमीटर, रेस्पाईरेबल पार्टिकुलेट मेटर-150 माईक्रोग्राम/घनमीटर, सल्फर डाई ऑक्साईड-120 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं नाईट्रोजन ऑक्साईड्स 120 माइक्रोग्राम/घनमीटर निर्धारित है. औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा में किये गये परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमश: परिशिष्ट "दो" एवं "तीन" अनुसार है.

शासकीय वनभूमि एवं राजस्व भूमि में काबिज व्यक्तियों को पट्टा का वितरण

10. (*क्र. 194) **श्री मैंदूराम कश्यप :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय वनभूमि एवं राजस्व भूमि में खेती कर रहे एवं मकान बना कर रह रहे व्यक्तियों को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम अनुसार कितने हितग्राही छ. ग. राज्य के लाभान्वित हो रहे हैं ? (ख) कब तक पट्टे वितरित किये जावेंगे ? अब तक नहीं दिए जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

---

† परिशिष्ट "तीन" †† परिशिष्ट "चार"

दुर्ग जिले के स्टील उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही

11. (*क्र. 169) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में स्टील एवं स्पंज आयरन के कितने संयंत्र स्थापित हैं ? नाम पता सहित विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) क्या उपरोक्त उद्योगों में ई. एस. पी. हेतु पृथक विद्युत मोटर एवम् प्रक्रिया से इंटरलाक करने की व्यवस्था है ? (ग) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों हेतु पृथक विद्युत मोटर एवम् प्रक्रिया से इंटरलाक करने की व्यवस्था की जांच गत एक वर्ष में किस-किस अधिकारी द्वारा, कब-कब किया गया है एवम् अनियमितताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

टीप :— "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ."

खाद्यान्न की कालाबाजारी के दर्ज प्रकरण

12. (*क्र. 263) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में जिला बिलासपुर, जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग में खाद्यान्न की अनियमितता (कालाबाजारी, अवैध संग्रहण, अवैध परिवहन) के कितने प्रकरण एवं शासन की योजना बीपीएल कार्डधारियों हेतु 35 किलो चांवल 03/- रु. प्रति किलो की दर पर दी जाने वाले चांवल की अफरातफरी के कितने प्रकरण बनाये गये हैं तथा उक्त प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : प्रश्नांकित अवधि के दौरान बिलासपुर जिले में कुल 22 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें से 4 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज कराया गया एवं शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है. दुर्ग जिले में कुल 107 प्रकरण बनाये गये, जिनमें से 25 प्रकरण में एफ. आई. आर. दर्ज की गई, 34 प्रकरणों में उचित मूल्य दुकानों पर अर्थदण्ड आरोपित करने एवं चेतावनी दिये जाने की कार्यवाही की गई. 01 प्रकरण में उचित मूल्य दुकान को चेतावनी दी गई तथा 01 अन्य प्रकरण में आरोपी व्यक्ति से जप्त खाद्यान्न को राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई. शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है. रायपुर जिले में कुल 26 प्रकरण बनाये गये, जिनमें से 9 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज की गई, 9 प्रकरणों में संबंधित उचित मूल्य दुकानों को निरस्त किया गया, 4 प्रकरणों में उचित मूल्य दुकानें निलंबित की गई, शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है.

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतें

13. (*क्र. 209) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत दिनांक 17-06-2008 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं कितने प्रकरणों पर एफ. आई. आर. दर्ज कराए गए हैं ? जिलेवार जानकारी देवें.

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : प्रश्नांकित अवधि तक कुल 649 शिकायतें प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायतों एवं दर्ज एफ. आई. आर. की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

तेंदूपत्ता विक्रय से प्राप्त राजस्व तथा संग्रहणों को वितरित लाभांश

14. (*क्र. 110) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 में छत्तीसगढ़ राज्य शासन को तेंदूपत्ता विक्रय से कुल कितनी आय प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) प्राप्त आय से तेंदूपत्ता संग्राहकों को उक्त वर्षों में तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (लाभांश) के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई ? वर्षवार जानकारी देवें.

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2004-2005 में रुपये 14,405.60 लाख, वित्तीय वर्ष 2005-2006 में रुपये 15,274.61 लाख, वित्तीय वर्ष 2006-2007 में रुपये 14,302.30 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2007-2008 में रुपये 24,690.20 लाख छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, तेंदूपत्ता विक्रय से आय प्राप्त हुई है. (ख) तेन्दूपत्ता विक्रय से प्राप्त आय में से निम्नानुसार राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक

---

† परिशिष्ट "पांच"

(लाभांश) के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित की गई :—

वित्तीय वर्ष	वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक (रु. लाख में)
2004-05	3,464.85
2005-06	205.70
2006-07	4,019.28
2007-08	3,715.85

दुर्ग जिले में दीनदयाल आवास योजना अन्तर्गत चिन्हित परिवारों की संख्या

15. (*क्र. 154) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने आवासहीन परिवारों को दीनदयाल आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय पट्टे देने हेतु सर्वेक्षित (चिन्हित) किया गया है, तथा उनमें से कितनों को आवासीय पट्टा 31 मई 2008 तक वितरित किया गया है ? (ख) क्या दीनदयाल आवास योजना अंतर्गत आवासीय पट्टे देने हेतु दुर्ग जिले में निजी भूमि अधिग्रहीत की गई है ? यदि हां, तो कितना रकबा/तथा उन्हें मुआवजा दिया गया है ? यदि हां तो किस दर से ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) आवासीय पट्टे हेतु सर्वेक्षित (चिन्हित) 3751, उनमें से 31 मई 2008 तक 1839 परिवारों को आवासीय पट्टा वितरित किया गया है. (ख) जी नहीं.

दुर्ग जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार

16. (*क्र. 247) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है ? क्या इन्हें कार्ड वितरित कर दिया गया है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : दुर्ग जिले में पूर्व वर्षों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या 3,49,543 है. इन सभी परिवारों को राशनकार्ड वितरित किए जा चुके हैं. वर्ष 2007-08 के नगरीय क्षेत्रों के बी. पी. एल. सर्वे में शामिल परिवारों के राशनकार्ड तैयार करने एवं वितरण की कार्यवाही प्रचलित है.

महोत्सवों/उत्सवों हेतु शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग

17. (*क्र. 24) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा कौन-कौन से महोत्सव हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा विविध महोत्सवों/उत्सवों के आयोजन हेतु आर्थिक सहयोग की जाती है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है.

बिलासपुर जिले में प्रदाय किये गरीबी रेखा के राशन कार्ड

18. (*क्र. 51) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में गरीबी रेखा के कितने परिवारों के विरुद्ध कुल कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं, विकासखण्डवार जानकारी दी जावे. (ख) जिला प्रशासन के पास गरीबी रेखा के कितने आवेदकों के आवेदन पत्र लंबित हैं ?

† परिशिष्ट "छ:"

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) विगत वर्षों के बी. पी. एल. सर्वे में शामिल गरीबी रेखा के सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गये हैं. विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. वर्ष 2007-08 में हुए शहरी बी. पी. एल. सर्वे में शामिल परिवारों के राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही प्रचलित है. (ख) कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं.

प्रदेश में प्रचलित राशन कार्ड एवं वितरित सामग्री

19. (*क्र. 148) **मोहम्मद अकबर** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार किस-किस रंग का कौन-कौन सा राशन कार्ड कितना-कितना प्रचलन में है तथा इन कार्डों में क्या-क्या सामग्री योजनावार कितनी-कितनी किस-किस दर में दी जा रही है ? (ख) भारत सरकार से उक्त कार्डधारियों को वितरित करने हेतु योजनावार क्या-क्या सामग्री का आवंटन माह जनवरी, 2008 से 17-06-2008 तक माहवार प्राप्त हुआ है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) राशन कार्डों की जानकारी प्रपत्र "अ" पर †† संलग्न है. अन्नपूर्णा योजना 10 किलो केसरिया एवं ए. पी. एल. राशनकार्डधारियों को छोड़कर प्रपत्र "अ" में उल्लेखित शेष सभी राशनकार्ड पर प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न 3 रु. की दर से, 25 पैसे प्रतिकिलो की दर से 02 किलो अमृत नमक, 13.50 रुपये प्रतिकिलो की दर से 1.30 किलो शक्कर एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 3.85 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है. अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों को 10 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है. 10 किलो केसरिया राशनकार्डधारी परिवारों को 3 रुपये किलो की दर से 10 किलो चावल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है. अन्नपूर्णा योजना एवं 10 किलो केसरिया योजना के राशनकार्डधारियों को उपरोक्त उल्लेखित पात्रता एवं दर पर अमृत नमक, शक्कर, एवं केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है. ए. पी. एल. राशनकार्डधारियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 3.85 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराया जा रहा है. किन्तु भारत सरकार से अपर्याप्त खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के कारण ए. पी. एल. कार्डधारियों को प्रतिमाह पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न है.

गरीबी रेखा के कार्डधारियों हेतु आवंटित खाद्य सामग्री के वितरण में अनियमितता

20. (*क्र. 239) **श्री भूपेश बघेल** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 16 जनवरी, 2008 से दिनांक 16 जून, 2008 तक राजनांदगांव तथा दुर्ग जिला में गरीबी रेखा कार्डधारियों के लिए आवंटित खाद्य सामग्री वितरण में गड़बड़ी जैसे परिवहन, चावल की तौलाई आदि के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? जिलेवार जानकारी देने का कष्ट करें. (ख) कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही हुई ? कृपया जानकारी देने का कष्ट करें.

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में गरीबी रेखा के कार्डधारियों के लिए आवंटित खाद्य सामग्री के परिवहन एवं चावल की तौलाई के संबंध में दुर्ग जिले में 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा राजनांदगांव जिले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) दुर्ग जिले में 28 प्रकरणों में संबंधितों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है. तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है. राजनांदगांव जिले के ग्राम बसनटोला एवं ग्राम अर्जुनी में 35 किलो के बोरों में चावल कम पाए जाने के कारण चावल पैकिंग हेतु नियुक्त ठेकेदार मेसर्स डी. एन. अग्रवाल भिलाई के विरुद्ध दिनांक 23-04-2008 को एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई. चावल पैकेजिंग के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक एवं कनिष्ठ सहायक तथा छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के कनिष्ठ सहायक सेड प्रभारी को निलंबित किया गया.

अन्त्यावसायी योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

21. (*क्र. 271) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला में अंत्यावसायी योजना के तहत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा सन् 2007-08 में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन कार्यों के लिए समिति द्वारा स्वीकृति दी गई है ? (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत व्यक्तियों को कब-कब उपरोक्त स्वीकृत प्रकरण में राशि फाइनेंस कर राशि उपलब्ध करवाया गया ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) एवं (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है.

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ" ‡ परिशिष्ट "नौ"

वन भूमि में काबिज लोगों को पट्टा दिये जाने के संबंध में

22. (*क्र. 59) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भटगांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2005 के पूर्व कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा वन भूमि में काश्त किया जा रहा है एवं मकान बनाकर रह रहे हैं ? (ख) वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा देने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत एन. जी. ओ. को स्वीकृत राशि

23. (*क्र. 83) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में स्वीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2005 से दिनांक 13-6-2008 तक किन-किन कार्यों के लिए, किन-किन एन. जी. ओ. को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) क्या सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? अगर नहीं तो कब तक पूर्ण किये जायेंगे ? कृपया बतावें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर है. (ख) जी नहीं. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

इस्पात संयंत्र हेतु टाटा कम्पनी द्वारा भू-स्वामियों को दिये गये मुआवजा

24. (*क्र. 10) **श्री लच्छुराम कश्यप :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में लगने वाले इस्पात संयंत्र हेतु टाटा कम्पनी द्वारा भू-स्वामियों को जमीन के बदले जमीन तथा जमीन के बदले मुआवजा राशि किस-किस मापदण्ड से दिया जा रहा है ? (ख) लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र के प्रभावित किसानों को कितनी राशि कितने-कितने किसानों को कब-कब वितरित की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर है.

रायगढ़ जिले में अपात्र एवं निरस्त राशन कार्डों को पुनर्जीवित करना

25. (*क्र. 224) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2007 से संचालित मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में रायगढ़ जिले में 1991 के राशन कार्डधारी बी. पी. एल. परिवार, 1997 के राशन कार्डधारी बी. पी. एल. परिवार, 1997 के नगरीय क्षेत्रों के बी. पी. एल. परिवार, 2002 की सर्वे सूची में शामिल बी. पी. एल. परिवार, विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी परिवार तथा पूर्व की अन्त्योदय अन्न योजना का चावल 2007-08 में माहवार, विकासखण्ड एवं नगरवार कुल कितने-कितने परिवारों को दिया गया ? (ख) रायगढ़ जिले में खाद्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर बी. पी. एल. परिवार की पुनर्जांच में विकासखण्ड एवं नगरवार कितने-कितने परिवार को अपात्र मानकर सर्वे सूची से अलग करके बी. पी. एल. चावल देना बंद कर दिया गया ? अपात्रता के मापदण्ड क्या थे ? (ग) शासन के निर्देशानुसार कितने-कितने अपात्र राशनकार्डधारी को पुनः सर्वे करके बी. पी. एल. राशन का चावल देने के लिए अनुशंसित किया गया ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. (ख) निरस्त किए गये राशनकार्डों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. राशनकार्ड हेतु अपात्रता के मापदंड, पक्का मकान, शासकीय नौकरी, निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरी जिसमें 2,000 रुपये मासिक से अधिक आमदनी हो, पांच एकड़ से अधिक भूमि, जीप, ट्रैक्टर, मोटर सायकिल, टेलीविजन, या अन्य लक्जरी सामान तय किया गया था. (ग) राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किये गए हैं.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 58) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2007-08 में रायपुर जिले में प्रदाय की गई सायकल की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	प्रदाय की गई सायकिलों की संख्या		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गरियाबंद	04	96	83
2.	मैनपुर	64	122	95
3.	छुरा	34	152	159
4.	धरसींवा	448	155	413
5.	आरंग	321	17	367
6.	अभनपुर	174	49	348
7.	तिल्दा	117	50	238
8.	पलारी	243	106	188
9.	सिमगा	144	70	212
10.	भाटापारा	105	81	147
11.	बलौदाबाजार	157	74	118
12.	कसडोल	216	165	286
13.	बिलाईगढ़	573	148	471
14.	फिंगेश्वर	111	38	182
15.	देवभोग	92	38	45
	योग	**2803**	**1361**	**3352**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 14) की जानकारी]

भू-अर्जनों के लंबित प्रकरणों की सूची

क्र.	प्रकरण क्र.	प्रकरण दर्ज तिथि (लंबित तिथि)	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रकबा (हे. में)	प्रकरण के वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			हसदेव बांगो परियोजना (अनुविभाग डभरा)			
1.	14/अ-82/06-07	04-07-07	शंकरपाली	01	0.081	धा. 6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
2.	16/अ-82/06-07	04-07-07	दर्री	02	0.186	--"--
3.	15/अ-82/06-07	04-07-07	खरकेना	01	0.061	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
4.	01/अ-82/07-08	12-03-08	कटौद	20	0.616	--"--
5.	02/अ-82/07-08	12-03-08	कटौद	02	0.036	--"--
6.	03/अ-82/07-08	12-03-08	कटौद	03	0.076	--"--
7.	04/अ-82/07-08	12-03-08	कटौद	03	0.113	--"--
8.	05/अ-82/07-08	12-03-08	कटौद	01	0.057	--"--
9.	244/अ 82/03-04	20-07-04	भांटा	02	0.404	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
	योग			**35**	**1.630**	
			अनुविभाग सक्ती			
10.	107/अ 82/03-04	02-03-04	दतौद	02	0.121	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
	योग			**02**	**0.121**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			माण्ड नहर परियोजना (अनुविभाग डभरा)			
1.	48/अ-82/02-03	30-12-02	जवाली	23	1.085	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
2.	52/अ-82/02-03	30-12-02	अमलडीहा	01	0.061	धा. 6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
3.	27/अ-82/02-03	23-11-02	लटेसरा	16	0.575	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
4.	19/अ-82/02-03	23-11-02	रायपुर	27	0.915	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
5.	08/अ-82/02-03	23-11-02	कांसीडीह	03	0.158	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
6.	59/अ-82/02-03	30-12-02	नावापारा	51	4.510	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
7.	60/अ-82/02-03	30-12-03	खेरसिया	62	3.802	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
8.	46/अ-82/02-03	23-11-02	किरना	22	0.951	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
9.	06/अ-82/02-03	07-10-03	सपोस	27	0.931	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
10.	06/अ-82/02-03	16-08-04	महवा	17	0.980	धा. 6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
11.	06/अ-82/02-03	07-10-03	बामनीभर	61	2.158	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
12.	06/अ-82/02-03	07-10-03	सपोस	26	1.061	धा. 4 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
13.	06/अ-82/02-03	15-05-06	छवारीपाली	23	1.368	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
14.	06/अ-82/02-03	08-11-06	सपोस	15	0.510	अवार्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
15.	06/अ-82/02-03	02-04-07	किरारी	01	0.316	धा. 6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन.
	योग			**375**	**19.381**	
	महायोग			**412**	**21.132**	

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 160) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत बिलासपुर जिले को माह अप्रैल एवं मई 2008 में चांवल, नमक एवं केरोसिन के आवंटन तथा उठाव की जानकारी

(मात्रा मे. टन/किलो लीटर में)

क्र.	वस्तु का नाम	माह-अप्रैल, 2008		माह-मई, 2008	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चावल	13193.00	12582.70	13340.90	12723.60
2.	अमृत नमक	782.80	276.60	794.20	774.00
3.	केरोसिन	1668.00	1668.00	1728.00	1728.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत कोटा विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के लिए माह अप्रैल एवं मई 2008 में चांवल, नमक एवं केरोसिन के आवंटन तथा उठाव तथा की जानकारी

(मात्रा मे. टन/किलो लीटर में)

क्र.	वस्तु का नाम	माह-अप्रैल, 2008		माह-मई, 2008	
		आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चावल	1524.62	1524.62	1604.25	1604.25
2.	अमृत नमक	83.08	83.08	94.33	94.33
3.	केरोसिन	194.80	194.80	202.00	202.00

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 223) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

गोमर्डा अभ्यारण्य में हुई वन्यप्राणियों की मृत्यु का विवरण

अ. क्र.	वन वृत्त	वन्यप्राणी का नाम	संख्या	मृत्यु की तिथि	मृत्यु का स्थान का नाम	मृत्यु का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	वायसन	1	15-09-07	कक्ष क्र. 928 पी. एफ.	विद्युत करेंट द्वारा शिकार
2.		वायसन	1	16-12-07	कक्ष क्र. 935 पी. एफ.	प्राकृतिक मौत
3.		भालू	1	15-12-07	कक्ष क्र. 883 पी. एफ.	प्राकृतिक मौत
4.		तेंदुआ	1	20-02-08	कक्ष क्र. 993 आर. एफ.	प्राकृतिक मौत
5.		साम्हर	1	24-03-08	कक्ष क्र. 917 आर. एफ.	प्राकृतिक मौत
6.		नीलगाय	1	24-03-08	कक्ष क्र. 886 पी. एफ	तेंदुए द्वारा शिकार (प्राकृतिक मृत्यु)
7.		वायसन	1	21-04-08	कक्ष क्र. 1006 आर. एफ.	यूरिया मिश्रित पानी पीने से
8.		वायसन	6	21-04-08	कक्ष क्र. 1006 आर. एफ.	यूरिया मिश्रित पानी पीने से
		योग	13			

प्रपत्र "ब"

वन्यप्राणियों के पेयजल व्यवस्था हेतु वृत्तवार प्राप्त एवं व्यय राशि का वित्तीय वर्षवार विवरण

(राशि लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट मद	रायपुर		दुर्ग		बिलासपुर		सरगुजा		जगदलपुर		कांकेर		इन्द्रावती टा. रि.		योग	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2005-06	12 वां वित्त आयोग	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	8.57	8.56	-	-	-	-	9.07	9.06
	6539-राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य का विकास.	26.50	26.50	-	-	10.00	9.59	8.90	8.90	0.60	0.60	-	-	32.00	12.14	78.00	57.73
	3943-वन्यप्राणी संरक्षण	2.00	2.00	6.00	5.72	3.00	3.00	20.08	20.08	-	-	-	-	-	-	31.08	30.80
	समेकित विकास योजना	10.33	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.33	10.33
	योग (2005-06)	39.33	39.33	6.00	5.72	13.00	12.59	28.98	28.98	9.17	9.16	-	-	32.00	12.14	128.48	107.92
2006-07	12 वां वित्त आयोग	18.00	18.00	16.00	16.00	11.00	11.00	14.90	14.90	-	-	-	-	5.00	5.00	64.90	64.90
	6539-राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य का विकास.	33.73	33.72	3.00	3.00	6.20	6.20	39.90	33.66	4.02	3.96	-	-	57.30	57.30	144.15	137.84
	3943-वन्यप्राणी संरक्षण	2.00	2.00	-	-	-	-	2.95	2.95	-	-	-	-	-	-	4.95	4.95
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	120.12	120.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.12	120.12
	योग (2006-07)	173.85	173.84	19.00	19.00	17.20	17.20	57.75	51.51	4.02	3.96	-	-	62.30	62.30	334.12	327.81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2007-08	12वां वित्त आयोग	12.00	12.00	10.50	10.50	12.00	12.00	13.95	13.95	-	-	-	-	10.00	10.00	58.45	58.45
	6539-राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य का विकास.	9.40	9.40	18.47	18.43	15.00	14.96	19.10	19.04	0.20	0.20	-	-	-	-	62.17	62.03
	3943-वन्यप्राणी संरक्षण	29.04	28.64	9.00	8.50	-	-	4.00	3.99			-	-	-	-	42.04	41.13
	3730-प्रोजेक्ट टायगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	22.00	22.00	22.00
	5539-एकीकृत वन सुरक्षा व्यवस्था.	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	1.30	25.00	25.00	26.30	26.30
	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
	जैव विविधता	-	-	-	-	-	-	20.34	20.34	-	-	-	-	-	-	20.34	20.34
	योग (2007-08)	53.44	53.04	37.97	37.43	27.00	26.96	37.05	36.98	0.20	0.20	1.30	1.30	57.00	57.00	237.30	236.25
	महायोग	266.62	266.21	62.97	62.15	57.20	56.75	123.78	117.47	13.39	13.32	1.30	1.30	151.30	131.44	699.90	671.98

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 209) की जानकारी]

क्रमांक	जिले का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	दर्ज एफ. आई. आर. की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	47	09
2.	धमतरी	13	02
3.	महासमुंद	43	00
4.	बिलासपुर	45	18
5.	जांजगीर-चांपा	51	11
6.	कोरबा	24	12
7.	दुर्ग	107	25
8.	राजनांदगांव	36	00
9.	कबीरधाम	07	03
10.	रायगढ़	17	01
11.	जशपुर	29	08
12.	सरगुजा	172	02
13.	कोरिया	05	04
14.	बस्तर	13	00
15.	कांकेर	06	01
16.	दंतेवाड़ा	33	01
17.	बीजापुर	01	00
18.	नारायणपुर	00	00
	योग	**649**	**97**

परिशिष्ट " छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 24) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सवों/उत्सवों के आयोजन एवं किये गये आर्थिक सहयोग की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	जिला (2)	महोत्सव का नाम (3)	वर्ष (4)	आवंटित राशि (5)
1.	दंतेवाड़ा	फागुन मड़ई मेला	2007	5,00,000.00
2.	दंतेवाड़ा	श्री राम नवमी मेला, मद्देड़	2007	50,000.00
3.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर लोकोत्सव	2006	5,00,000.00
4.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर लोकोत्सव	2007	15,00,000.00
5.	बस्तर	गढ़धनौरा (केशकाल)	2007	25,000.00
6.	बस्तर	शिवरात्रि मेला, देवड़ा मंदिर, माचकोट, रेंज, देवगुड़ी.	2008	25,000.00
7.	बस्तर	शिवरात्रि मेला, गोबरहीन मंदिर केशकाल घाटी.	2008	25,000.00
8.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर लोकोत्सव	2008	15,00,000.00
9.	नारायणपुर	मावली मेला, नारायणपुर	2007	5,00,000.00
10.	दुर्ग	नगपुरा महोत्सव	2006	5,00,000.00
11.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़ महोत्सव (राशि उपयोग नहीं की जा सकी. मूलत: पर्यटन मण्डल को वापस की गई).	2006	2,00,000.00
12.	कबीरधाम	भोरमदेव महोत्सव	2007	16,00,000.00
13.	कबीरधाम	भोरमदेव महोत्सव	2008	7,00,000.00
14.	बिलासपुर	मल्हार महोत्सव	2006	5,00,000.00
15.	बिलासपुर	मल्हार महोत्सव	2007	5,00,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	बिलासपुर	मल्हार महोत्सव	2008	5,00,000.00
17.	बिलासपुर	ताला महोत्सव	2007	1,00,000.00
18.	बिलासपुर	रतनपुर महोत्सव	2007	2,50,000.00
19.	महासमुंद	सिरपुर महोत्सव	2006	10,00,000.00
20.	महासमुंद	सिरपुर महोत्सव	2007	15,00,000.00
21.	जांजगीर-चांपा	लक्ष्मणेश्वर महोत्सव, खरौद, शिवरीनारायण.	2006	50,000.00

प्रपत्र "ब"

संस्कृति विभाग द्वारा महोत्सवों/उत्सवों के आयोजन एवं किये गये आर्थिक सहयोग की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है

क्र. (1)	महोत्सव/उत्सव का नाम (2)	स्थान (3)	वित्तीय वर्ष 2007-08 में आवंटित राशि (4)
1.	मल्हार महोत्सव	मल्हार बिलासपुर	1,00,000
2.	खल्लारी महोत्सव	खल्लारी महासमुन्द	1,50,000
3.	शिवरीनारायण महोत्सव	शिवरीनारायण जांजगीर-चांपा	* वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु.5.00 लाख दिया गया था. * वित्तीय वर्ष 2006-07 में मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ था. * वित्तीय वर्ष 2007-08 का मांग पत्र दिनांक 18-02-08 को प्राप्त हुआ, संबंधित योजना में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटन नहीं दिया जा सका.
4.	जाज्वल्यदेव महोत्सव	जांजगीर-चांपा	1,00,000
5.	बिलासा महोत्सव	बिलासपुर	2,00,000
6.	डोंगरगढ़ महोत्सव	राजनांदगांव	-
7.	गढ़िया महोत्सव	कांकेर	5,00,000
8.	रतनपुर महोत्सव	रतनपुर, बिलासपुर	1,06,000
9.	राज्योत्सव (सा. प्र. वि. एवं अन्य विभागों के समन्वय में).	रायपुर	1,00,000
10.	राजिम कुंभ, (पर्यटन, धर्मस्व एवं अन्य विभागों के समन्वय में)	राजिम (नवापारा, चम्पारण सहित)	2,50,000
11.	रामगढ़ उत्सव	रामगढ़, उदयपुर, सरगुजा	1,00,000
12.	चक्रधर समारोह	रायगढ़	10,00,000
13.	लोक मड़ई	राजनांदगांव जिले में	2,00,000

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	करिया धुव मेला	अर्जुनी, पिथौरा, महासमुन्द	0,50,000
15.	कबीर पंथी मेला	दामाखेड़ा, रायपुर	1,00,000
16.	पंथी महाकुंभ 2008	भिलाई	1,00,000
17.	जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव.	रायपुर	2,00,000
18.	गौरव्या धाम मेला	ग्राम चौरेल जिला दुर्ग	1,00,000
19.	राऊत नाचा महोत्सव	तिल्दा नेवरा, रायपुर	1,00,000
20.	लोकोत्सव	गुण्डरदेही	25,000

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 51) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विकासखण्ड	दिनांक 30-05-08 की स्थिति में गरीबी रेखा के परिवारों को जारी राशनकार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	बिल्हा	61979
2.	मस्तुरी	54976
3.	कोटा	37058
4.	तखतपुर	35992
5.	मुंगेली	28345
6.	पथरिया	21008
7.	लोरमी	42406
8.	पेन्ड्रा	17300
9.	गौरेला	21153
10.	मरवाही	21175

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 148) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक	जिले का नाम	बी. पी. एल. (पीला)	अंत्योदय (लाल)	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	केसरिया (35)	केसरिया (10 किलो)	स्लेटी (35 किलो)	ए. पी. एल. (सफेद)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	रायपुर	136744	81695	3665	80574	29113	138395	204695
2.	धमतरी	20993	17543	463	25146	2614	31207	53971
3.	महासमुंद	43991	31365	881	25199	7052	63909	61888
4.	बिलासपुर	81575	77821	2596	64204	24626	131341	138400
5.	जांजगीर-चांपा	54130	39208	1547	37676	13280	69600	111942
6.	कोरबा	25371	28282	1164	9648	3338	66960	68319
7.	दुर्ग	98657	79916	3040	74508	38476	74375	270128
8.	राजनांदगांव	53278	33805	1186	39477	11800	59220	96700
9.	कवर्धा	35164	24711	251	21862	7155	36401	26981
10.	रायगढ़	35829	52137	1732	28693	12103	87760	68719
11.	जशपुर	14180	27619	725	8488	5391	47039	49378
12.	सरगुजा	53273	85932	3853	43831	36807	174145	76756
13.	कोरिया	14145	20008	749	15791	7302	36747	48635
14.	बस्तर	24937	52537	1248	19197	10661	123853	62586
15.	कांकेर	19701	21222	514	11980	5847	46583	45221
16.	दन्तेवाड़ा	5122	28510	777	5413	7040	53919	7199
17.	नारायणपुर	1251	8690	343	665	784	7798	3079
18.	बीजापुर	1677	7899	1268	1277	4437	27028	4659

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	योजनावार वस्तु का नाम	आवंटित राशन सामग्री की मात्रा (मेट्रिक टन/किलोलीटर में)					
		जनवरी, 2008	फरवरी, 2008	मार्च, 2008	अप्रैल, 2008	मई, 2008	जून, 2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ए. पी. एल. खाद्यान्न	3844	3844	3844	2246	2246	2246
2.	बी. पी. एल. खाद्यान्न	40474	40474	40474	40474	40474	40474
3.	अन्त्योदय अन्न योजना चावल	25162	25162	25162	25162	25162	25162
4.	अन्नपूर्णा योजना चावल	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
5.	बी. पी. एल. शक्कर	4512	4512	4512	4512	4512	4512
6.	केरोसिन	15735	15735	15735	15734	15734	15734

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 271) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स्वीकृत हितग्राहियों की सूची

योजना का नाम	लक्ष्य	इकाई लागत	हितग्राही का नाम /पिता का नाम	जाति	पता	व्यवसाय	ऋण राशि	स्वीकृत दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अ. जा. कारटैक्सी		4.90	सुशील कुमार/बोटीलाल	सतनामी	सुभाष ब्लाक कोरबा	परिवहन	4.90	7-04-08
अ. जा. स्वावलंबी योजना		1.00	आदित्य कुमार कर्रे/छतराम	सतनामी	एल. आई. जी. हाऊसिंग बोर्ड कोसाबाड़ी कोरबा	आटोपार्ट्स	1.00	24-06-08
अ. ज. जा. नलकूप उत्खनन		1.00	कोमल प्रसाद राठिया/गांडाराम	कंवर	ग्रा. फत्तेगंज, पो दादरकला	नलकूप	1.00	02-06-08
अ. ज. जा. ट्रेक्टर ट्राली		5.44	शिशुपाल सिंह/रामेश्वर सिंह	कंवर	ग्रा. खोडरी, पो. राजा, तह. पोंड़ीउपरोड़ा	कृषि	5.44	23-06-08
पि. वर्ग मध्यम ऋण		0.50	शरद साहू /लखन लाल	तेली	पुरानी बस्ती धनुहार पारा कोरबा	पानठेला एवं डेली निड्स.	0.50	24-06-08

प्रपत्र "ब"

वितरित हितग्राहियों की सूची

क्र.	योजना का नाम	लक्ष्य	इकाई लागत	हितग्राही का नाम /पिता का नाम	जाति	पता	व्यवसाय	ऋण राशि	वितरित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अ. जा. कारटैक्सी		4.90	सुशील कुमार/बोटीलाल	सतनामी	सुभाष ब्लाक कोरबा	परिवहन	4.90	10-04-08
2.	अ. ज. जा. ट्रेक्टर		5.44	शिशुपाल सिंह/रामेश्वर	कंवर	ग्रा. खोडरी पो. रावा विकास खण्ड पोंड़ी उपरोड़ा.	कृषि	5.44	28-06-08